



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/ATY-1884/DL/5/2024-APCR

दिनांक : 20.11.2024

सेवा मे,

श्री संजय अरोरा

पुलिस आयुक्त,
दिल्ली पुलिस मुख्यालय,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली- 110001
Email Id: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in

विषय: दिल्ली पुलिस द्वारा जाति सूचक गाली गलौज तथा अभद्रतापूर्वक व्यवहार करने तथा उनसे जबरदस्ती माफीनामा पर हस्ताक्षर कराने से संबंधित श्री मुकेश कुमार मीणा का अभ्यावेदन।


संदर्भ: आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय का नोटिस दिनांक 30.09.2024 (प्रतिलिपि संलग्न)।

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) एनसीएसटी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

- डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषककी जांच/ जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **29.11.2024 को 11:00 AM** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।
- तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप** से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
- कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड) 8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय


(एच.आर. मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री मुकेश कुमार मीणा

गांव- कनकटा, तहसील चाकसू,
पोस्ट-मण्डालिया मैदा,
जिला जयपुर, राजस्थान
Mobile No:9166518557

- PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
- NIC for uploading